राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

क्रमांकः प.७(४९५)परि / ट्रान्स / नियम / मु. / २०१३ / २५६।५ जयपुर, दिनांकः २५)।।)।८

अधिसूचना

यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 93, 95 और 96 सहपठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन–डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 का प्रारूप, उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा-प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, पन्द्रह दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सूझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) दिनांक 28.10.2016 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 03.11.2016 को उपलब्ध करा दी गयीं थीं ।

और यतः उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया।

अतः अब मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 93, 95 और 96 सहपठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम प्रकाशित करती है, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन—डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये राजस्थान राज्य में क्रियाशील एग्रीगेटरों पर लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- ''अधिनियम'' से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) अभिप्रेत है;
- ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- ''अनुज्ञप्ति'' से किराया या पारिश्रमिक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित, लोक ... सेवा यानों द्वारा ऑन—डिमाण्ड परिवहन उपलब्ध करवाने के कारबार में लगने के लिए इन नियमों के नियम 6 के अधीन मंजूर की गयी या नवीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

- (4) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से अधिनियम की धारा 68 की उप—धारा (1) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत हैं; और
- (5) ''एग्रीगेटर'' से ऐसा सेवा प्रदाता या आपरेटर अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन विधिमान्य परिमट रखने वाले लोक सेवा यान के ड्राईवर के साथ किसी मोबाइल फोन / वेब एप्लीकेशन के द्वारा या किसी कॉल सेन्टर के माध्यम से या किसी अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा यात्री को जोड़ने के लिए डिजिटल मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है।
- 3. एग्रीगेटर का अनुज्ञापन.— (1) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप—2 में मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त किये बिना एग्रीगेटर के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (2) ऐसे विद्यमान यात्रा अभिकर्ताओं को भी, जो फोन / वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से यात्री परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के कारबार में लगे हुए हैं और राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.73 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति धारित करते हैं, इन नियमों के प्रारंभ से पन्द्रह दिन के भीतर—भीतर आवेदन करना होगा और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी।
- 4. अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए आवेदन.— (1) नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप—1 में किया जायेगा और उसके साथ नियम 18 में यथा—विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढ़े पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक से दस लाख रुपये की बैंक गारंटी होगी।
- (2) जहां आवेदक के कारबार के मुख्य स्थान, जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य कार्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर शाखा कार्यालय है, वहां ऐसे स्थान भी आवेदन में वर्णित किये जायेंगे :

परंतु अनुज्ञप्तिधारी अपने मुख्य कार्यालय, या अनुज्ञप्ति में यथा वर्णित उसकी शाखाओं में से किसी शाखा को परिवर्तित कर सकता है या नयी शाखा खोल सकता है और पन्द्रह दिवस की अविध में किये गये ऐसे परिवर्तन की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देनी होगी। ऐसे परिवर्तन के आवेदन के साथ नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

- 5. आवेदन की संवीक्षा.— अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से पूर्व, निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा, अर्थात् :—
- (i) यह कि आवेदक भारत में लागू विधियों के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत संस्था है;

- (ii) यह कि आवेदक डिजीटल मध्यवर्ती / मार्केट प्लेस है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले और भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रिजस्ट्रीकृत यान चलाने वाले ड्राईवर से यात्रियों को जोड़ने के लिए संयाचना या याचना करता है और मध्यवर्ती—मागदर्शक सिद्धान्तों को सिम्मिलत करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 21) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करता है;
- (iii) यह कि आवेदक ग्राहकों और ड्राईवर्स हेतु एक कॉल सेन्टर दिन की संपूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा जिस हेतु उक्त सेवाऐ देने का आशय रखता हो;
- (iv) यह कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है जिसमें शिकायत दूर करने वाले अधिकारी का क्रियाशील दूरभाष संख्यांक और ई—मेल पता हो;
- (v) यह कि आवेदक ने, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि का नाम, पता और संपर्क सूचना संसूचित कर दी है, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है; और
- (vi) यह कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम पचास मोटर कैब के व्यैक्तिक परिमट धारकों के साथ लिखित / डिजिटल करार या समझौता—ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है और मोटर कैब से भिन्न यानों की दशा में यह संख्या किसी भी समय पच्चीस से कम नहीं होगी।
- 6. अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण और उससे संबद्ध मामले.— (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और स्वयं का समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक ने नियम 5 की अपेक्षाओं का पालन किया है, नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के पश्चात् प्ररूप—2 में अनुज्ञप्ति मंजूर और जारी कर सकेगा:

परंतु नवीकरण की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वयं का समाधान करने के पश्चात् कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 5 और नियम 8 के अधीन यथा विहित निबंधनों और शर्तों का पालन कर लिया है, नियम 18 में यथा विहित फीस के संदाय के पश्चात्, प्ररूप—2 में अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा:

परंतु यह और कि अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तब तक नामंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर नहीं दिया जाता है और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे इंकार किये जाने के कारण लेखबद्ध नहीं कर लिए जाते हैं।

- (2) आवेदक, साढ़े चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् किंतु अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए साढ़े पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक से अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित दस लाख रुपये की नवीकृत बैंक गारंटी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।
- (3) यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उप—नियम (2) के अधीन विहित समय के अवसान के पश्चात् किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उस समय के भीतर उसे आवेदन करने से निवारित करने वाले कारणों को देखते हुए आवेदन स्वीकार कर सकेगा।
- (4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का अभिलेख रखेगा और अनुज्ञप्ति के नवीकरण पर विचार करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी शिकायतों को दूर करने की योग्यता का मूल्यांकन करेगा।
- 7. अनुज्ञप्ति की अवधि.— उप—िनयम 6 के अधीन मंजूर की गयी या नवीकृत की गयी अनुज्ञप्ति, मंजूर करने या उसके नवीकरण की तारीख से पांच वर्ष की कालाविध के लिए विधिमान्य होगी।
- 8. अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा अनुपालन किये जाने वाली सामान्य शर्ते.— (1) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लोक सेवा यान, जो एग्रीगेटर प्लेटफार्म के द्वारा बुक की गयी यात्रा के लिए संचालित किया जाता है,—
- (क) लिखित/डिजिटल करार के अधीन वचनबंध होना चाहिए जो अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे यान का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए उसे प्राधिकृत करे;
- (ख) अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत हो;
- (ग) अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया विधिमान्य ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र धारण करता हो,
- (घ) प्रचालन के दिये गये क्षेत्र में चलाने का सुसंगत परमिट धारण करता हो;
- (ङ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन समय—समय पर यथा विहित तृतीय पक्षकार के जोखिम को समाविष्ट करने वाला विधिमान्य बीमा धारण करता हो;
- (च) राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय समस्त शोध्य संदत्त कर दिये हैं;
- (छ) वाणिज्यिक यानों के लिए विहित सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करता हो;

- (ज) प्राथमिक उपचार पेटिका को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित लागू मानक सुरक्षा उपस्करों से सुसज्जित हो;
- (झ) समय—समय पर यथा विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों को पूरा करता हो और विधिमान्य प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र रखता हो;
- (ञ) जब कभी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाये आपातकालीन सुरक्षा बटन (बटनों) से सुसज्जित हो;
- (ट) भौतिक अवस्थिति को ट्रेक करने की सक्षम युक्ति से सुसज्जित हो और मोटर कैब की दशा में, उसमें यात्रा के किराये और समय की सही संगणना करने के लिए दूरी और समय की माप करने के लिए सक्षम युक्ति हो, ऐसा उपस्कर यान के स्वामी द्वारा लगाया जायेगाः

परन्तु लोकेशन ट्रेकिंग या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर अधिकथित विनिर्देशों का पालन करेगी।

- (ठ) उसमें उस सीमा तक विज्ञापन नहीं लगाये जायेंगे कि वे यातायात की सुरक्षा के लिए हानिकारक और विघ्नकारक बन जायें और समय—समय पर इस सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शन सिद्धान्तों के सर्वथा अनुसार होने चाहिएं; और
- (ड) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसा ईधन जो सक्षम प्राधिकारों द्वारा संचालन हेतु अनुमत किया जावे, से चलाया जायेंगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी यह अवश्य सुनिश्चित करेगा कि,-
- (क) ऐसा कोई ड्राईवर, जो ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के साथ रजिस्टर होना चाहता है, उसके पास समुचित प्रवर्ग की ड्राईवर अनुज्ञप्ति होनी चाहिए;
- (ख) किसी ड्राईवर को ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के साथ रिजस्टर करने की अनुज्ञा देने से पूर्व, और उसके पश्चात् वार्षिक रूप से, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे व्यक्ति के मतदाता फोटो पहचान पत्र, पेन कार्ड, निवास के पते के सबूत और परिवार के दो सदस्यों के संपर्क—ब्यौरे के साथ, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अभिप्राप्त करनी चाहिए और उसका पुनर्विलोकन करना चाहिए;
- (ग) ऐसा कोई ड्राईवर, जिसे विगत सात वर्ष के भीतर—भीतर, मादक द्रव्य या एल्कोहल के असर में यान चलाने के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, या जिसे कपट, लैंगिक अपराधों, किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए मोटर यान का उपयोग करने, सम्पत्ति को हानि पहुंचाने से अन्तर्वलित अपराध और/या चोरी, हिंसा के कार्यों या आतंक के कार्यों को

सम्मिलित करते हुए किसी संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी समय दोषसिद्ध किया गया है, उसे अनुज्ञप्तिधारी प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए;

- (घ) ऐसा कोई ड्राईवर जो ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के साथ रजिस्टर होने की इच्छा रखता है, उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नो योअर कस्टमर (KYC) कम्प्लियेन्ट बैंक खाता अवश्य होना चाहिए;
- (ङ) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले ड्राईवर को अपने विवेकाधिकार से ऑन–डिमाण्ड प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर लाग–इन और लाग–ऑफ करने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए और जब तक यान के स्वामी अन्यथा चयन न करें तब तक ऐसे यानों को जिनका वे प्रचालन करते हैं, उन्हें स्वयं को बहु ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर रजिस्टर करने से निवारित नहीं किया जाना चाहिए;
- (च) ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले ड्राईवर को घण्टों की किसी न्यूनतम संख्या के लिए यान चलाने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा, किन्तु जब कभी लागू हो सुरक्षित यान चलाने के लिए घण्टों की अधिकतम संख्या के लिए नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम डिवाइस को चालन घण्टों का मीटरी अभिलेखन सुनिश्चित करना चाहिए; और
- (छ) ड्राईवर, जब ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग कर रहा हो, तब रास्ते में यात्रियों से याचना या उन्हें बुलाना नहीं चाहिए।
- (3) प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को,-
- (क) अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रभारी अधिकारी के ब्यौरों के साथ प्रक्रिया की रजिस्ट्रीकृत सेवा के लिए पता उपलब्ध करवाना चाहिए;
- (ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी को तिमाही आधार पर ड्राईवरों के पूरे नाम, चालन अनुज्ञप्ति संख्यांक और यान के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक को सम्मिलित करते हुए, ऑन–डिमाण्ड प्रौद्योगिकी परिवहन प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले ड्राईवरों की सूची उपलब्ध करवानी चाहिए;
- (ग) यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन अनुज्ञप्तिधारी ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले ड्राईवरों द्वारा संचालित किये जाने वाले यानों की परिमट की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं;
- (घ) ड्राईवर से संबंधित निम्नलिखित अद्यतन अभिलेख प्राप्त करना और रखना चाहिए :—
 - (i) फोटो;

- (ii) चालन अनुज्ञप्ति का ब्यौरा;
- (iii) बैज का ब्यौरा;
- (iv) निवास का वर्तमान और स्थायी पता;
- (v) ड्राईवर के बैंक खाते अथवा इलेक्ट्रोनिक हंस्तान्ततरण के अन्य किसी विधिक प्रकार के ब्यौरे ;
- (vi) सम्पर्क सूचना;
- (vii) स्व-प्रमाणित मतदाता फोटो पहचान पत्र, पेन कार्ड; और
- (viii) ड्राईवर के परिवार के दो सदस्यों के संपर्क ब्यौरे और पते।
- (ङ) ड्राईवर के यान से संबंधित निम्नलिखित अद्यतन अभिलेख अभिप्राप्त करने और रखने चाहिए:-
 - (i) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण नंबर प्लेट के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
 - (ii) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट और जारी किया गया ठीक हालत में होने का प्रमाणपत्र;
 - (iii) अखिल भारतीय पर्यटक परिमट या, यथास्थिति, राज्य पर्यटक परिमट को सिम्मिलित करते हुए किन्तु उस तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट और जारी किया गया परिमट या कोई अन्य दस्तावेज;
 - (iv) उप-नियम (1) के खण्ड (क) में यथा निर्दिष्ट लिखित / डिजिटल करार की प्रतिलिपि;
 - (v) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन समय—समय पर यथा विनिर्दिष्ट तृतीय पक्षकार के जोखिमों को समाविष्ट करने वाली बीमा पालिसी; और
- (vi) भौतिक अवस्थिति को ट्रेक करने की सक्षम युक्ति लगे होने का प्रमाण पत्र। (4) यात्री सुरक्षा में अभिवृद्धि करने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी,—
- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन—डिमाण्ड प्रौद्योगिकी परिवहन एग्रीगेटर्स वेब या मोबाइल एप्लीकेशन सवारों को ड्राईवरों से जोड़ती है, यात्रियों के लिए ड्राईवर की (अनुज़प्ति संख्यांक को सम्मिलित करते हुए) स्पष्ट तस्वीर और यान की तस्वीर या विवरण और ऐसे अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करती है जो सवार को यह सत्यापित करने के लिए अनुज्ञात करती है कि यान का ड्राईवर वही व्यक्ति है जिसके ब्यौरे सवार ने ऑन—डिमाण्ड प्रौद्योगिकी परिवहन एग्रीगेटर के माध्यम से प्राप्त किये हैं;

- (ख) मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा तंत्र विकसित और सम्मिलित करेगा जो सवारों को उनके सुरक्षा नेटवर्क के भीतर न्यूनतम दो व्यक्तियों से उनकी अवस्थिति साझा करने की क्षमता सवार उपलब्ध कराता है;
- (ग) मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा तंत्र विकसित और सम्मिलित करना चाहिए जो आपातकाल की दशा में सवारों को स्थानीय पुलिस से जुड़ने की क्षमता प्रदान करता हो;
- (घ) जब कभी मांग की जाये, केन्द्र या राज्य सरकार के डाटा नेटवर्क को यान ड्राईवर और यान की अवस्थिति के डाटा अन्तरण के लिए समर्थ बनायेगा;
- (ङ) पुलिस सत्यापन के माध्यम से ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के उपयोग की वांछा रखने वाले प्रत्येक ड्राईवर की आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन करेगा;
- (च) वार्षिक आधार पर ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत यान की जानकारी का सड़क मंत्रालय परिवहन और राजमार्ग और / या राज्य परिवहन विभाग को उपलब्ध जानकारी के साथ सत्यापन करेगा;
- (छ) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के माध्यम से बुक की गई किसी ट्रिप में अन्तर्वलित किसी आपराधिक प्रकृति की किसी घटना की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी विधिपूर्ण अनुरोध पर तुरन्त सुसंगत प्राधिकारियों को सूचित करेगा और उसमें सहयोग करेगा;
- (ज) ड्राईवर के ऑन–डिमाण्ड मोबाइल एप्लीकेशन में लगे रहने के दौरान विभेद या विभेदकारी आचरण के लिए पूर्ण असहनशीलता की नीति स्थापित करेगा। विभेदकारी आचरण में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे,—
- (i) सेवा से इन्कार करना;
- (ii) यात्रियों के साथ अनादरसूचक या तंग करने वाली भाषा का उपयोग; या
- (iii) लिंग, प्रजाति, जाति, पंथ, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी यात्री को श्रेणीबद्ध करना; और
- (झ) दायित्वाधीन होगा यदि वह ड्राईवरों की प्रत्ययता में सम्यक् तत्परता और आवश्यक सावधानी का प्रयोग करने में विफल रहता है या इन नियमों या अनुज्ञप्ति के निबंधनों का पालन नहीं करता है।
- (5) किसी यात्री से युक्तियुक्त आरोप अन्तर्विष्ट करने वाले नियमित मेल या इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से प्रस्तुत लिखित शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् कि ऑन डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले ड्राईवर ने विभेद के लिए नियम 8 के उप—नियम

- (4) के खण्ड (ज) में यथा निर्दिष्ट पूर्ण असहनशीलता की नीति का अतिक्रमण किया है तो ड्राईवर को अन्वेषण (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा) की अवधि के लिए प्लेटफार्म से तुरन्त हटा दिया जायेगा;
- (6) कोई ड्राईवर किसी निर्योग्य व्यक्ति को केवल इस कारण से सेवा देने से इन्कार नहीं करेगा क्योंकि उस व्यक्ति की निर्योग्यता रूप या अस्वैच्छिक व्यवहार में परिणामित होती है जिससे ड्राईवर या किसी अन्य व्यक्ति को क्लेश, क्षोभ या असुविधा होती हो;
- (7) अनुज्ञप्तिधारी को उसके ड्राईवरों द्वारा ड्रग्स या एल्कोहल के उपयोग पर पूर्ण असहनशीलता की नीति लागू करनी चाहिए और उसकी वेबसाइट के साथ ही प्रक्रियाओं में भी पूर्ण असहनशीलता का नोटिस प्रकाशित करना चाहिए तािक ड्राईवर, जिससे यात्री का सामना हुआ था और जिसके लिए यात्री को संशय है कि वह यात्रा के अनुक्रम के दौरान ड्रग्स या एल्कोहल के असर में था, के बारे में शिकायत की रिपोर्ट करे, और पूर्ण असहनशीलता की नीति के किसी अतिक्रमण का अभिकथन करने वाले किसी यात्री की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त ड्राईवर की प्लेटफार्म पर पहुंच को तुरन्त अक्रियाशील कर दिया जायेगा। यह अक्रियाशीलता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्वेषण की अविध के दौरान बनी रहेगी;
- (8) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा यदि नियन्त्रण या स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है और ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिनों के भीतर इन नियमों के उपबंधों के अधीन नई अनुज्ञप्ति की मांग करेगा;
- (9) अनुज्ञप्तिधारी किराये पर अपनी नीति प्रकाशित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम किराया दर, प्लेटफार्म/एप्लीकेशन के साथ यानों और ड्राईवरों के रिजस्ट्रीकरण, यानों के स्वामियों और ड्राईवरों के साथ किराया साझा करने, यात्रियों की सुरक्षा, शिकायत दूर करने के लिए तंत्र इत्यादि के सन्दर्भ में होगी। उसे इन नीतियों का पूरी बारीकी और पारदर्शिता से अनुसरण करना चाहिए;
- (10) अनुज्ञप्तिधारी उसके ड्राईवरों के लिए सुरक्षित चालन कौशल, लिंग संवदेनग्रहण यात्री शिष्टाचार को सम्मिलित करते हुए किन्तु जो इस तक ही सीमित नहीं होंगे; संरचनात्मक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ड्राईवर कलैण्डर वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ले। ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्यक् रूप से दस्तावेजी होना चाहिए;
- (11) अनुज्ञप्तिधारी उतनी संख्या में मोटर कैंब जितनी साध्य हो, रजिस्टर करने का प्रयास करेगा जिनमें महिला ड्राईवर हों;

- (12) इन नियमों के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति ऐप के साथ ही टेलीविजन या प्रिंट विज्ञापनों पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी; और
- (13) अनुज्ञप्तिधारी राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की गयी समस्त शर्तों और जारी किये निदेशों का पालन करेगा।
- 9. यात्री द्वारा पालन किये जाने वाली सामान्य शर्ते.— लोक सेवा यान में यात्रा या सवारी करते समय यात्री या सवार,—
- (1) धूम्रपान और मद्यपान नहीं करेगा;
- (2) ड्राईवर और सह—यात्रियों के प्रति सिविल और व्यवस्थित व्यवहार करेगा;
- (3) लोक सेवा यान या उसके किसी भाग को जानबूझकर या उपेक्षा से नुकसान नहीं पहुंचायेगा;
- (4) ड्राईवर को अधिसूचित गति सीमाओं के उपबन्धों के उल्लंघन में यान चलाने के लिए नहीं कहेगा।
- 10. पारदर्शिता.— (1) ऑन—डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म को, की गयी यात्रा की दूरी और समय (युक्ति द्वारा उपदर्शित मीटर के आधार पर) और यात्री / सवार द्वारा की गयी यात्रा के लिए संदत्त किये जाने वाले प्रतिफल, सवार को सूचित करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना होगा और यात्रा की समाप्ति पर यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य और संदत्त कुल रकम, यदि कोई हो, के विवरण और उस व्यक्ति या संस्था का नाम जिसकी ओर से रसीद जारी की गयी है, का दस्तावेजीकरण करते हुए यात्री के ई—मेल पते या मोबाइल फोन या मोबाइल एप्लीकेशन पर या हार्ड प्रति में इलैक्ट्रोनिक रसीद पारेषित करेगा या पारेषित करवायेगा।
- (2) सवार को या तो वेब द्वारा या मोबाइल एप पर या ग्राहक सेवा दूरभाष नम्बर और ई—मेल पते के माध्यम से, उनकी शिकायतें या यात्रा के दौरान सामने आयी कठिनाइयों को पेश करने के लिए सुकर बनाना चाहिए।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी को किन्हीं लागू नियमों या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम या परिमट शर्त द्वारा भौतिक रूप से आज्ञापक समस्त लक्षणों को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- 11. अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द करने की शक्ति.— (1) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह राय है कि,—

- (क) अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों में कथित किये गये निबन्धनों और शर्तों में से किसी का पालन करने में विफल हुआ है; या
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन में लोक सेवा यानों को अनुरक्षित करने में विफल रहा है;
- तो अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति को निलम्बित या अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।
- (2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी है, रद्दकरण की तारीख से छह मास की कालावधि के पश्चात्, अनुज्ञापन प्राधिकारी को दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा जैसा अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ठीक समझा जाये।
- (3) जब उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द की जाती है तब अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा और सेवा को बन्द कर देगा।
- 12. बैंक गारन्टी का समपहरण.— यदि अनुज्ञप्तिधारक इन नियमों में यथा वर्णित शर्तों और निबन्धनों का पालन करने में विफल रहता है या अनुज्ञप्तिधारी का कोई कर्मचारी यात्रा करने वाले किसी यात्री के साथ कदाचार या अवचार का दोषी पाया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहत या/और दस लाख रुपये की बैंक गारन्टी या अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसके समुचित भाग का समपहरण करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 13. प्रचालन का क्षेत्र.— इन नियमों के अधीन चलने वाले यानों (मोटर कैंब से भिन्न) के प्रचालन का क्षेत्र वह होगा जो राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 1.2 के उप—नियम (फ) में निर्दिष्ट किया गया है।
- 14. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना और अनुज्ञप्ति का अंतरण.— (1) यदि किसी भी समय अनुज्ञप्ति खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो धारक उस पुलिस थाने को, जिसकी अधिकारिता के भीतर हानि या नाशन हुआ है, रिपोर्ट करेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में तथ्यों से अवगत करायेगा और उक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी को नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए प्ररूप—1 में आवेदन करेगा।
- (2) उप—नियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा जिस पर स्पष्ट रूप से ''दूसरी प्रति'' अंकित होगा।
- (3) यदि अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के पश्चात् मूल अनुज्ञप्ति का पता चल जाता है तो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जायेगा।

- (4) इन नियमों के अधीन जारी की गयी या नवीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में इसके विधिक वारिस द्वारा किये गये आवेदन पर, अंतरित की जायेगी। अन्य मामलों में अनुज्ञप्ति नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ अन्तरक और अन्तरिती द्वारा इन नियमों के अधीन विहित समस्त शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए अन्तरित की जा सकेगी।
- 15. अपील.— नियम 6, 11 या 12 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, राज्य परिवहन अपील अधिकरण को अपील फाईल कर सकेगा।
- 16. अपील की प्रक्रिया.— (1) नियम 15 के अधीन कोई अपील, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध आक्षेप के आधार उपदर्शित करते हुए, ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में दाखिल की जायेगी और इसके साथ ऐसी फीस होगी जो नियम 18 में विनिर्दिष्ट की गयी है।
- (2) राज्य परिवहन अपील अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, समुचित आदेश पारित करेगा।
- (3) राज्य परिवहन अपील अधिकरण नियम 15 के अधीन फाईल की गयी अपील का उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील फाइल की गयी थी, नब्बे दिन की कालावधि के भीतर निपटान करेगा।
- 17. अनुज्ञप्ति का स्वैच्छिक अभ्यर्पण.— अनुज्ञप्तिधारक किसी भी समय उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसने अनुज्ञप्ति मंजूर की है, उसे जारी की गयी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण कर सकेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को रदद करेगा। अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने से पूर्व, नियम 12 में निर्दिष्ट समस्त शोध्यों का संदाय करेगा।
- 18. फीस.— फीस जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन प्रभारित की जायेंगी, ऐसी होंगी जो नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की गयी है :—

सारणी

क्रम	प्रयोजन	रकम (रुपयों में)	नियम
संख्यांक			
1	2	3	4
1.	अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के	पांच हजार	4
	आवेदन के सम्बन्ध में		
2.	मुख्य कार्यालय के पते में परिवर्तन या	दो हजार पांच सौ	4
	नयी शाखा खोलने की अनुज्ञा हेतु		
3.	अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के	एक लाख	6
	सम्बन्ध में		
4.	अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने	दस हजार	14
	के सम्बन्ध में		
5.	अनुज्ञप्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में	क. पांच हजार (व्यष्टिक	14.
		अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की	
		दशा में)	
		ख. पन्द्रह हजार (अन्य	
		मामलों में)	
6.	अपील	दो हजार पांच सौ	15

^{19.} फीस का प्रतिदाय.— राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के अधीन यथा अधिकथित फीस और प्रतिभूति के प्रतिदाय की रीति और प्रक्रिया लागू होगी।

प्ररूप—1 (नियम 4 देखिए)

राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन—डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 के अधीन एग्रीगेटर की अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन

सेवामें,

राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर।

में, अधोहस्ताक्षरी, राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन—डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीकरण के लिए, इसके द्वारा आवेदन करता हूं।

.10[(1)	भविकरण के लिए, इरावर क्षारा जावब । बरसा दूर
1.	पूरा नाम
2.	मुख्य कार्यालय का पता
3.	शाखाओं की संख्या और उनके पते
4.	(क) यदि रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है तो संगम ज्ञापन की प्रति
	के साथ निगमन/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति भी
	संलग्न करें।
	(ख) यदि फर्म है तो फर्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र
	की प्रति संलग्न करें।
5.	दूरभाष नम्बर, वेब पता और ई–मेल आई डी
6.	प्रचालित किये जाने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक
	परिवहन यानों की संख्या (प्रत्येक यान के यान संख्यांकों
	और परमिट ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए पृथक सूची
	संलग्न करें)
7.	जी पी एस / जी पी आर एस सुविधा के ब्यौरे
8.	अन्य अवसंरचना के ब्योरे
9.	वित्तीय स्थिति के ब्यौरे
10.	संदत्त फीस के ब्यौरे
11.	बैंक गारन्टी के माध्यम से प्रतिभूति निक्षेप के ब्यौरे

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। मैं यह समझता हूं कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पायी जाती है तो मेरे विरूद्ध अन्य विधिक कार्रवाई/कार्रवाइयां शुरू करने के साथ ही मुझे मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति रद्द करने के दायित्वाधीन होगी। मैंने राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन—डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 के उपबन्धों को पढ़ लिया है। मैं इन्हें स्वीकार करता हूं और उक्त नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

स्थान : दिनांक : आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

प्ररूप-2 (नियम 6 देखिए)

श्री/श्रीमती/मैसर्स...... को इन नियमों में अन्तर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन—डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए इसके द्वारा अनुज्ञप्त किया जाता है।

OTICI		
1.	एग्रीगेटर का पूरा नाम	
2.	मुख्य कार्यालय का पता	
3.	शाखाओं के पते	
4.	दूरभाष नम्बर, वेब पता और ई–मेल आई डी	
5.	सार्वजनिक परिवहन यानों की संख्या (संलग्न सूची के अनुसार)	
6.	नेटवर्क के ब्यौरे जिसके माध्यम से प्रचालक कार्य करेगा	
	संदत्त फीस के ब्यौरे	
8.	बैंक गारन्टी के ब्यौरे	

अनुज्ञप्तिधारी राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा ऑन—डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 में अन्तर्विष्ट समस्त शर्तों का पालन करेगा। यह अनुज्ञप्ति दिनांक.....से.....से.....तक विधिमान्य है।

रथान :

दिनांक :

राज्य परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान राज्यपाल के आदेश से,

> (डॉ. मनीषा अरोड़ा) संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः प.७(४९५)परि / नियम / मु. / २०१३ / २५६)६ - २५६२२ जयपुर, दिनांकः २५ । । । ८ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 25:11:2016...में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
- 2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
- 6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
- 7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
- विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
- 9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
- 10. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
- 11. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त ।
- 12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु.)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN TRANSPORT DEPARTMENT

S.No. F.7(495) Pari/Trans./Rules/HQ/2013 24615

Jaipur, Dated: -25)11/16

NOTIFICATION

Whereas the draft of the Rajasthan On-demand Information Technology Based Transportation By Public Service Vehicles Rules, 2016 in exercise of the powers conferred by section 93,95 and 96 read with 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extraordinary part 3(Kha) dated 28.10.2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of fifteen days from the date on which the copies of this notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 03.11.2016;

And whereas, the objections & suggestions received on the said draft rules have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 93,95 and 96 read with section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby publishes the following rules, namely:-

- 1. Short title, commencement and application.- (1) These rules may be called the Rajasthan On-demand Information Technology Based Transportation By Public Service Vehicles Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.
- (3) They shall be applicable to aggregators operating in the State of Rajasthan.
 - 2. Definitions.- In these rules unless the context otherwise requires,-
- (1) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988);
- (2) "Form" means a form appended to these rules;

- (3) "License" means a license granted or renewed under rule 6 of these rules to engage in the business of providing on-demand transportation by Public Service Vehicles, based on information technology for hire or reward;
- (4) "Licensing authority" means the State Transport Authority constituted under sub-section (1) of section 68 of the Act; and
- (5) "Aggregator" means a service provider or an operator who acts as a digital intermediary for a passenger to connect with a driver, by means of a mobile phone/web application or through a call centre or by any other advance technology, of Public Service Vehicle having a valid permit under the Act.
- **3.** Licensing of Aggregator.- (1) No person shall act as an aggregator without obtaining a license in Form-2 granted by the licensing authority.
- (2) The existing travel agents who are engaged in the business of providing passenger transport services through phone/ web based application and holding a license under provisions of rule 5.73 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 shall also have to apply within fifteen days from the commencement of these rules and obtain a license under these rules .
- 4. Application for grant or renewal of license.- (1) An application for the grant or renewal of a license under rule 6 shall be made in Form-1 to the licensing authority and shall be accompanied by a fee as specified in rule 18 and a bank guarantee of rupees ten lakhs from scheduled bank with validity of five and half years drawn in favour of the licensing authority.
- (2) Where the applicant, besides the principal place of business hereinafter referred to as main office, has branch office within the jurisdiction of the licensing authority, such places shall also be mentioned in the application.

Provided that licensee may change his main office, or any of his branches as mentioned in the license or open a new branch and intimation of such change shall be furnished within a period of fifteen days to the licensing authority. Application for such change shall be accompanied by a fee as specified in rule 18.

- **5. Scrutiny of Application.** A licensing authority shall, before granting or renewing a license, take into consideration the following, namely:-
 - (i) that the applicant is a registered entity under the applicable laws of India;

- (ii) that the applicant is a digital intermediary/ marketplace that canvasses or solicits for a passenger to connect with a driver satisfying the necessary eligibility conditions and operating a validly registered vehicle under the laws of India and complies with all applicable regulations prescribed under the Act and the Information Technology Act, 2000, (Act No. 21 of 2000) including the intermediary guidelines;
- (iii) that the applicant has a call centre for customers and drivers operating at all times of the day during which the applicant intends to provide the above services;
- (iv) that the applicant provides either a web or a phone application based customer service and grievance redressal mechanism having an operational telephone number and an email address of a grievance redressal officer;
- (v) that the applicant has intimated the name, address and contact information of the authorised local representative of the licensee, who is responsible for the compliance of the provisions of these rules; and
- (vi) that the applicant maintains a fleet through a written/digital agreement or memorandum of understanding with individual permit holders of at least fifty motor cabs at all times and in the case of vehicles other than motor cab, this number shall not be less than twenty five at any time.
- 6. Grant or Renewal of License and matters connected therewith.- (1) The licensing authority may, on receipt of an application under rule 4 and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements of rule 5, grant and issue the license in Form-2 after payment of fees as specified in rule 18:

Provided that in the case of renewal the licensing authority after satisfying himself that licensee has complied with the terms and conditions as prescribed under rule 5 and rule 8, renew the license in Form-2 after payment of fees as specified in rule 18.

Provided further that no application for license shall be refused by the licensing authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are recorded in writing by the licensing authority.

(2) The applicant may submit an application for renewal of license at any time after the completion of four and half years but not less than three months before the expiry of the license along with a renewed bank guarantee of rupees ten lakhs from

scheduled bank with validity of five and half years drawn in favour of the Licensing Authority.

- (3) If application of renewal of license is made after the expiry of time prescribed under sub-rule (2), licensing authority may accept the application looking to the reasons preventing him applying in time.
- (4) The licensing authority shall keep the record of the complaints received from consumers against the licensee and shall evaluate the ability of the licensee to address such complaints at the time of consideration of renewal of the license.
- **7. Duration of license.-** A license granted or renewed under rule 6 shall be valid for a period of five years from the date of grant or renewal.

8. General conditions to be observed by the holder of the license.-

- (1) The licensee must ensure that every Public Service Vehicle that is operated for a journey booked via an aggregator platform should,-
 - (a) be engaged under a written/digital agreement authorising the licensee for the use of such vehicle as a whole;
 - (b) be validly registered under the provisions of the Act;
 - (c) hold a valid Fitness Certificate, issued under the provisions of the Act;
 - (d) hold a relevant permit to ply in the given area of operation;
 - (e) hold valid insurance covering for third party risks as prescribed from time to time under the provisions of the Act;
 - (f) have paid all the dues payable under The Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act,1951 and rules made thereunder;
 - (g) comply with the safety requirements prescribed for commercial vehicles;
 - (h) be equipped with the applicable standard safety equipments prescribed under the Act and rules made thereunder, including the first aid box;
 - (i) meet emission standards as specified from time to time and have a valid pollution under control certificate;
 - (j) be equipped with emergency safety button(s) wherever mandated by the licensing authority;
 - (k) be equipped with a device capable of tracking physical location and in case of motor cabs with a device capable of measuring the distance and time for accurate calculation of fare and time of travel. Such equipment shall be fitted by the owner of the vehicle:

Provided that the location tracking or Global Positioning System device shall comply with the specifications as laid down by the licensing authority from time to time;

- (l) not carry advertisements to the extent that it becomes hazardous or a disturbance to the safety of traffic and must be strictly in accordance with the guidelines issued by the State Transport Authority in this regard from time to time; and
- (m) be run on such fuel which is permissible by competent authorities for operation in National Capital Region.

(2) The licensee must ensure that:

- (a) any driver that wishes to register with an on-demand transportation technology platform must have a driving license of the appropriate category;
- (b) prior to permitting a driver to register with the on-demand transportation technology platform, and annually thereafter, the licensee must obtain and review a police verification report for such person, together with self-attested copy of EPIC card, PAN card, residential address proof along with contact details of two family members;
- (c) any driver who has been convicted, within the past seven years, for offence of driving under the influence of drugs or alcohol, or who has been convicted at any time for any cognizable offence including fraud, sexual offenses, use of motor vehicle to commit a cognizable offence, a crime involving property damage, and/or theft, acts of violence, or acts of terror must not be permitted to use the licensee platform;
- (d) any driver that wishes to register with an on-demand transportation technology platform must hold a Reserve Bank of India (RBI) Know Your Customer compliant bank account;
- (e) driver using the on-demand transportation technology platform must be permitted to log-in and log-off the on-demand technology platform at their discretion and must not be prevented from registering themselves or the vehicles they operate on multiple on-demand transportation technology platforms, unless the owners of the vehicle chooses otherwise;
- (f) driver using the on-demand transportation platform shall not be compelled to drive a minimum number of hours, but should follow the rules for maximum number of hours for safe driving wherever applicable. The

- Global Positioning System device should ensure metric recording of driving hours; and
- (g) driver when using on-demand transportation technology platform must not solicit or accept street hails.
- (3) For administrative purposes, the licensee must,-
 - (a) provide an address for registered service of process along with details of Office in-charge to the licensing authority;
 - (b) provide a list of drivers using on-demand technology transportation platform, including the full name of driver, driving license number and the vehicle registration number to the licensing authority on a quarterly basis;
 - (c) ensure that its web or mobile application ensures compliance with the permit conditions of the vehicle being operated by drivers using the licensees on-demand transportation platform;
 - (d) obtain and maintain the following up-to-date records relating to the driver:-
 - (i) photograph;
 - (ii) driving license detail;
 - (iii) badge detail;
 - (iv) present and permanent residence address;
 - (v) bank details of the driver or any other legal mode of electronic transfer:
 - (vi) contact information;
 - (vii) self attested EPIC card, PAN card; and
 - (viii) contact details and address of two family members of the driver.
 - (e) obtain and maintain the following up-to-date records relating to the driver's vehicle:-
 - (i) certificate of registration along with the number of High Security Registration Plate as prescribed under the Act and rules made thereunder;
 - (ii) certificate of fitness as specified and issued under the Act and rules made thereunder;
 - (iii) permit or any other document as specified and issued under the Act and rules made thereunder, including, but not limited to, an

- All India Tourist Permit or a State Tourist Permit, as the case may be;
- (iv) a copy of written/digital agreement as referred in clause (a) of sub-rule (1);
- (v) insurance policy covering the third party risks as specified from time to time under the Act and rules made thereunder; and
- (vi) certificate of fitment of device capable of tracking of physical location.

(4) In order to promote passenger safety, the licensee must,-

- (a) ensure that the on-demand technology transportation aggregators web or mobile application to connect drivers to riders displays for the passengers a clear picture of the driver (including license number) and a picture or description of the vehicle and such other details that allows the rider to verify that the driver of the vehicle is person whose details the rider has received via the on-demand technology transportation aggregator;
- (b) develop and include a feature in the mobile application that provides riders the ability to share their location with a minimum 2 number of persons within their safety network;
- (c) develop and include a feature in the mobile application that gives riders ability to contact local police in case of emergency;
- (d) enable data transfer of the vehicle, driver and location of the vehicle to the data network of the Central or State Government whenever demanded;
- (e) verify the criminal background of each driver wishing to use the ondemand transportation technology platform through police verification;
- (f) verify vehicle information registered on the on-demand transportation technology platform with the information available with the Ministry of Road, Transport and Highways and/or the State Transport Department on an annual basis;
- (g) in the event of an incident of a criminal nature involving a trip booked through the licensee on-demand transportation technology platform, licensee will immediately inform and cooperate with relevant authorities upon lawful request;
- (h) establish a policy of zero tolerance for discrimination or discriminatory conduct while a driver is logged into the on-demand mobile application. Discriminatory conduct may include,-

- (i) refusal of service;
- (ii) using derogatory or harassing language directed at passenger; or
- (iii) rating a passenger on the basis of sex, race, caste, creed, religion, or nationality; and
- (i) be held liable if the licensee fails to exercise due diligence and responsible care in accrediting drivers or does not comply with terms of these rules or the license.
- (5) After upon receiving a written complaint from a passenger submitted through regular mail or electronic means containing a reasonable allegation that the driver using the on-demand transportation technology platform has violated the zero tolerance policy as referred in clause (h) of sub-rule (4) of rule 8 for discrimination the driver shall be immediately deactivated from the platform, for the duration of the investigation (by the licensee);
- (6) A driver shall not refuse to provide service to an individual with a disability solely because the individual's disability results in appearance or involuntary behavior that may offend, annoy or cause inconvenience to the driver or any other person;
- (7) The licensee must implement the zero tolerance policy on the use of drugs or alcohol by its driver and publish the notice of the zero tolerance policy on its website as well as the procedures to report a complaint about a driver with whom the passenger was matched and for whom the passenger reasonably suspects was under the influence of drugs or alcohol during the course of the ride, and immediately deactivate said driver's access to the platform upon receipt of a passenger complaint alleging a violation of the zero tolerance policy. The deactivation shall last the duration of the investigation by the licensee;
- (8) The on-demand transportation technology platform shall inform the licensing authority if there is a change in control or ownership of the license and shall seek a fresh/ new license under the provisions of these rules within fifteen days of such change;
- (9) The licensee must publish its policy on fare which shall be with reference to the minimum and maximum fare rates specified by the State Government, registration of vehicles and drivers with its platform/ application, sharing of fares with vehicles

owners and drivers, safety of passengers, mechanism for grievance redressal etc. It must also follow these policies meticulously and transparently;

- (10) The licensee shall conduct structured refresher training programs for its drivers including but not limited to safe driving skills, gender sensitization passenger etiquette and ensure that the driver shall undertake such refresher course at least once in a calendar year. Such training programs should be duly documented by the licensee;
- (11) The licensee shall endeavor to register as many motor cabs having woman drivers as may be feasible;
- (12) shall display prominently the license issued under these rules on the app as well as any television or print advertisements and;
- (13) the licensee shall follow all the conditions as may be specified and directions issued by the State Transport Authority or any competent court, from time to time.
- 9. General conditions to be observed by the Passenger.- While travelling or riding in the public service vehicle the passenger or rider,-
- (1) shall not smoke and drink;
- (2) shall behave in civil and orderly manner towards driver and co-passenger;
- (3) shall not willfully or negligently damage the public service vehicle or any of its fittings;
- (4) shall not cause a driver to drive the vehicle in contravention of the provisions of the notified speed limits
- 10. Transparency:- (1) The On- demand transportation technology platform must provide a feature to convey to the rider the distance and time travelled (based on the metering indicated by the device) and consideration to be paid by a passenger /rider for the trip undertaken and upon completion of a trip, shall transmit or cause to be transmitted an electronic receipt to the passenger's email address or mobile phone or mobile application or in hard copy documenting the origination and destination of the trip and a description of the total amount paid, if any and the name of the person or entity on whose behalf the receipt is issued.

- (2) The rider must be facilitated either via the web or on a mobile app or through a customer service telephone number and an email address to submit their grievances or difficulties faced during travel.
- (3) The licensee shall be permitted to digitally provide for all features mandated physically by any applicable rules or rule or permit condition made by the State Government.
- 11. Power of Licensing Authority to Suspend or Cancel License.-(1) If the licensing authority, after giving the licensee an opportunity to be heard, is of the opinion that,-
 - (a) a licensee has failed to comply with any of terms and conditions as detailed in these rules; or
 - (b) the licensee has failed to maintain the Public Service Vehicles in compliance with the provisions of the Act and rules made thereunder;

The licensing authority may suspend the license for a specified period or cancel the license.

- (2) Every licensee whose license has been cancelled shall be permitted to apply for another license to the licensing authority after a period of six months from the date of cancellation.
- (3) When the license is suspended or cancelled under sub-rule (1) the holder of the license shall surrender the license to the licensing authority and discontinue the service.
- 12. Forfeiting of Bank Guarantee.- If the holder of a license fails to comply with the conditions and terms as mentioned under these rules or any employee of licensee is guilty of any misbehavior or misconduct with any passenger travelling then the licensing authority will be free to suspend or revoke the license or/and forfeit the bank guarantee of rupees ten lakhs or appropriate portion looking to the seriousness of offence.
- 13. Area of Operation.- Area of operation of vehicles (Other than Motor Cab) plying under these rules shall be as referred in sub-rule (v) of rule 1.2 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990.

- 14. Issue of duplicate license and transfer of license.- (1) If at any time the license is lost or destroyed, the holder shall report to the police station in the jurisdiction of which the loss or destruction has occurred and intimate the fact in writing to the licensing authority and apply in Form-1 to the said licensing authority for a duplicate license accompanied by the fees as specified in rule 18.
- (2) On receipt of an application along with the specified fee in sub-rule (1), the licensing authority may issue a duplicate license clearly marked "Duplicate".
- (3) If after the issue of a duplicate license the original is traced, the same shall be surrendered forthwith to the licensing authority.
- (4) A license issued or renewed under these rules may be transferred to the legal heir in case of death of licensee on an application made by legal heir. In other cases, license may be transferred on a joint application made by the transferor and transferee accompanied by the fees as specified in rule 18 and subject to fulfillment of all the conditions prescribed under these rules by the transferee.
- 15. Appeal.- Any person aggrieved by any order of the licensing authority under rule 6, 11 or 12, may file within thirty days of the receipt of the order, appeal to the State Transport Appellate Tribunal.
- 16. Procedure for appeal.- (1) An appeal under rule 15 shall be preferred in two copies in the form of a memorandum setting forth the ground of objection, to the order of the licensing authority and shall be accompanied by a fee as specified in rule 18.
- (2) The State Transport Appellate Tribunal may after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry as it may deem necessary, pass appropriate orders.
- (3) The State Transport Appellate Tribunal shall dispose of an appeal filed under rule 15 within a period of ninety days from the date on which such appeal is filed.
- 17. Voluntary surrender of the license. The holder of a license may at any time surrender the license issued to him by the licensing authority which granted the license and on such surrender the licensing authority shall cancel the license. The holder of the license before surrendering the license shall clear all the dues referred in rule 12.

18. Fees.- The fees which shall be charged under the provisions of these rules shall be as specified in the Table below:-

TABLE

Serial Number	Purpose	Amount (In rupees)	Rule
1	2	3	4
1.	In respect of application for grant or renewal of license	Five thousand	4 ·
2.	In respect of change of address of the main office or permission to open a new branch	Two thousand five hundred	4
3.	In respect of grant or renewal of license	One lakh	6
4.	In respect of issue of duplicate license	Ten thousand	14
5.	In respect of transfer of license	A. Five thousand (In case of death of individual licensee)B. Fifteen thousand (In other cases)	14
6.	Appeal	Two thousand five hundred	15

19. Refund of Fees.- Method and procedure for refund of fee and security as laid down under the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 shall be applicable.

FORM-1

[see rule 4]

Application for the grant/renewal of Aggregator's license under the Rajasthan Ondemand Information Technology Based Transportation By Public Service Vehicles Rules, 2016

To,

The State Transport Authority, Jaipur.

I, the undersigned hereby apply for grant/renewal of a license for operation as an aggregator under the Rajasthan On-demand Information Technology Based Transportation By Public Service Vehicles Rules, 2016.

1.	Full Name	
2.	Address of the main office	
3.	Number of branches and their addresses	
4.	 (a) If a registered company, enclose a copy of certificate of incorporation/registration along with a copy of memorandum of association. (b) If a firm, enclose a copy of certificate of registration of the firm. 	
5.	Telephone number, web address and e-mail id	
6.	Number of public service vehicles proposed to be operated. (Enclose a separate list containing vehicle numbers and permit particulars of each vehicle)	
7.	Details of GPS/GPRS facility	
8.	Details of other infrastructure	
9.	Details of Financial Condition	
10.	Details of fee paid	
11.	Details of Security Deposit by way of Bank Guarantee	

I hereby declare that the information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the license granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of the Rajasthan On-demand Information Technology Based

Transportation by Public Service Vehicles Rules, 2016; I accept the same and agree to abide by the said rules.

Place:

Signature of the Applicant/

S.No. F.7(495) Pari/Trans./Rules/HQ/2013 \ 24616 ~ 24627 Jaipur, Dated: - 25 \ 11 \ | 6 \ Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated \$5:.!!:20!6.and a copy thereof may be sent to this department.
- 2. P.S. to Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 4. S.A. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
- 5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
- 6. P.S. to Principal Secretary and Transport Commissioner to the Government of Rajasthan, Jaipur.
- 7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
- 8. Law (Codification) Department, Jaipur.
- 9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
- 10. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.
- 11. All Regional/Addl. Regional /District Transport Officers.
- 12. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.

13. Guard file.

Joint Secretary to the Government

Letter No.:- F7(495) Pari/Rules/HQ/2013/24615/Part-1 25140 Date 6 升121/6

Subject:- Format of Bank Guarantee to be submitted by the persons applying for a license under Rajasthan on Demand Information Technology based Transportation by Public Service Vehicles Rules, 2016

With reference to the above subject the draft of the bank guarantee to be submitted by the applicants under the above scheme is enclosed. The persons applying a license are requested to furnish the bank guarantee in the enclosed format.

Enclosed as above

(Hans Kumar Sharma)

Addl. Transport Commissioner (IT)

BANK GUARANTEE FORMAT – PERFORMANCE SECURITY

(To be stamped in accordance with Stamp Act and to be issued by a Nationalised/Scheduled bank having its branch at Jaipur and payable at par at Jaipur, Rajasthan)

To,

The Transport Commissioner, Transport Department, Government of Rajasthan, Parivahan Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur- 302015 (Rajasthan)

Sir,

- 3. We, the aforesaid bank, further agree that the DoT shall be the sole judge of and as to whether the Licensee has committed any breach or breaches of any of the

terms costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the DoT on account thereof to the extent of the performance security required to be deposited by the Licensee in respect of the said document and the decision of the DoT that the Licensee has committed such breach or breaches and as to the amount or amounts of loss, damage, costs, charges and expenses caused to or suffered by or that may be caused to or suffered by the DoT shall be final and binding on us.

- 4. We, the said Bank further agree that the Guarantee herein contained shall remain in full force and effect until it is released by the DoT and it is further declared that it shall not be necessary for the DoT to proceed against the Licensee before proceeding against the Bank and the Guarantee herein contained shall be invoked against the Bank, notwithstanding any security which the DoT may have obtained or shall be obtained from the Licensee at any time when proceedings are taken against the Bank for whatever amount that may be outstanding or unrealized under the Guarantee.
- 5. Any notice by way of demand or otherwise hereunder may be sent by special courier, telex, fax, registered post or other electronic media to our address, as aforesaid and if sent by post, it shall be deemed to have been given to us after the expiry of 48 hours when the same has been posted.
- 6. If it is necessary to extend this guarantee on account of any reason whatsoever, we undertake to extend the period of this guarantee on the request of our constituent under intimation to you.
- 7. The right of the DoT to recover the said amount of Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lacs) from us in manner aforesaid will not be precluded/affected even if the dispute has been raised by the said M/s...... and/or dispute or dispute are pending before any court, authority, officer, tribunal, arbitrator(s) etc.
- 8. Notwithstanding anything stated above, or liability under this guarantee shall be restricted to 10,00,000 (Rupees Ten Lacs) and our guarantee shall remain in force for a period i.e. 5 years & 6 months from the date of issue of Licensee and unless a demand or claim under the guarantee is made on us in writing within three months after the validity date, all your rights under the guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.
- 9. This guarantee shall be governed by and construed in accordance with the Indian Laws and we hereby submit to the exclusive jurisdiction of courts of Justice in

- Jaipur for the purpose of any suit or action or other proceedings arising out of this guarantee or the subject matter hereof brought by you may not be enforced in or by such count.
- 10. We hereby confirm that we have the power/s to issue this Guarantee in your favour under the Memorandum and Articles of Association/ Constitution of our bank and the undersigned is/are the recipient of authority by express delegation of power/s and has/have full power/s to execute this guarantee under the Power of Attorney issued by the bank in your favour.

Date (Signature)
Place (Printed Name)
(Designation)
(Bank's Common seal)
In presence of:
WITNESS (with full name, designation, address & official seal, if any)
(1)
(2)
Bank Details:
Name & address of Bank:
Name of contact person of Bank:
Contact telephone number:

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF BANK GUARANTEE

The Bank Guarantee shall fulfill the following conditions in the absence of which they cannot be considered valid:-

- 1. Bank Guarantee shall be executed on non-judicial stamp paper of applicable value purchased in the name of the bank.
- 2. Two persons should sign as witnesses mentioning their full name, designation, address and office seal (if any).
- 3. The Executor (Bank Authorities) may mention the power of attorney No. and date of execution in his/her favour authorizing him/ her to sign the document. The Power of Attorney to be witness by two persons mentioning their full name and address.
- 4. The Bank Guarantee should be executed by a Nationalised Bank/ Scheduled Commercial Bank only.
- 5. Non Judicial stamp paper shall be used within 6 months from the date of Purchase of the same. Bank Guarantee executed on the non judicial stamp paper after 6 (six) months of the purchase of such stamp paper shall be treated as non valid.
- 6. The contents of Bank Guarantee shall be strictly as per format prescribed by DoT.
- 7. Each page of Bank Guarantee shall bear signature and seal of the Bank and B.G. number.
- 8. All corrections, deletions etc. in the Bank Guarantee should be authenticated by signature of Bank Officials signing the Bank Guarantee.
- 9. Bank should separately send through registered post/courier a certified copy of Bank Guarantee, mentioning Licensee reference, title and name, directly to the DoT at the following address:

Transport Department,
Government of Rajasthan,
Parivahan Bhawan, Sahkar Marg,
Jaipur- 302015 (Rajasthan)